न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00191

रमेश चन्द आत्मज श्री रामनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुधीन्द्र यादव अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 430 रकबा 34 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता रामनारायण जगन्नाथ जी के कब्जे काश्त की है । उक्त भूमि में प्रतिवादी के द्वारा केचमेंट कार्य किया गया जिसके तहत उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1109 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1128 की रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा कुल 31 बीघा 11 बिस्वा बाद केचमेंट कायम कर संभलाया गया । उक्त भूमि में बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 736 की रकबा 0.87 हैक्टर व खसरा नम्बर 759 की 3.64 हैक्टर कुल 4.51 हैक्टर कायम किया । केचमेंट के बाद का रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा था जिसके 5.05 हैक्टर बनते हैं किन्तु सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी के सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने 4.51 हैक्टर भूमि दर्ज कर 0.54 हैक्टर भूमि कम दर्ज की है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के खाते की आराजी कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 1109 की 05 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1128 की 25 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 736 की 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 की 3.64 हैक्टर में से 0.54 हैक्टर की कमी पूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 738/1922 की 0.34 हैक्टर व अन्य सिवायचक भूमि में से की जावे तथा वादीगण को 4.51 हैक्टर के स्थान पर 5.05 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे इस अनुसार नक्शा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 05.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर वादी 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 22.10.2020 को अन्य काम से तहसील दीगोद गया तो वहॉ पर उसके वकील साहब ने बताया जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और 06.11.2020 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद की आराजी साबिक खसरा नम्बर 430 की रकबा 34 बीघा 02 बिस्वा दर्ज चली आ रही थी । रेस्पोडेन्ट के द्वारा केचमेंट कार्य किया गया जिसके उपरान्त खसरा नम्बर 430 की रकबा 34 बीघा 02 बिस्वा के नये नम्बर 1109 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बररर 1128 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा कुल 31 बीघा 111 बिस्वा कायम किया गया । सेटलमेंट के उपरान्त इसके नये नम्बर 736 रकबा 0.87 हैक्टर और खसरा नम्बर 759 रकबा 3.64 हैक्टर कुल 4.51 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट द्वारा 0.54 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई है । सेटलमेंट अधिकारियों को रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं था । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । कोर्ट कैम्प में निर्णय पारित किया गया है अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । तनकीयात कायम नहीं की गई है । साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा दावा हक घोषणा का पेश किया गया था । दावा प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और पैरोकार सरकार को मजमेआम में सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर दावा वादी खारिज किया गया है न तो लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवादावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुंए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा